न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 126/2016

1 भंवरसिंह पुत्र मदनलाल।
2 अजीतसिंह पुत्र परमानन्द सिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण जाजोद तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरसिंह पुत्र बजरंगसिंह।
2 राजूसिंह पुत्र बजरंग सिंह।
3 प्रेम पुत्री बजरंग सिंह।
4 सुनिता पुत्री बजरंग सिंह।
5 उषा पुत्री बजरंग सिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण जाजोद तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 अमरसिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह।
7 तेजसिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह।
8 इन्द्रा पुत्री रामचन्द्र सिंह।
9 सुनिता पुत्री रामचन्द्र सिंह।
10 कमली देवी बेवा रामचन्द्र सिंह समस्त जाति दरोगा निवासीगण जाजोद हाल आबाद गांव मेडास वाया रिवा तहसील मेड़ता सिटी नागौर जिला नागौर।
11 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
12 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा जाजोद जरिये मैनेजर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला पीठासीन अधिकारी श्री जयवीर सिंह कालेर आर.ए.एस. दावा संख्या 381/2013 उनवानी भंवरसिंह बनाम शंकरसिंह दिनांकित 08.06.2016

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबरमल रॉयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 381/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 331व 331/1206 के सम्बंध में वाद विरूद्व रेस्पोडेंट्स बाबत इस्तकरार व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जो कालांतर में न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला के यहां स्थानान्तरित हो गया। उक्त वाद का रेस्पोडेंट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद कोई खण्डन नहीं किया गया तथा अपीलांट का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय वाद पत्र खारिज होने योग्य पाये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाने बाबत निष्कर्ष के साथ निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.06.2016 पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी अपीलांट के वाद का विचारण न्यायालय में कोई खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है इसलिये विचारण न्यायालय को आदेश 8 नियम 5 के तहत दावा स्वीकार करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श 4 में उप कृषक के कॉलम में भगवाना, माल्या पुत्र जीवण अंकित है। संवत 2013 से 2015 में उप कृषक के कॉलम में बिड़दु पुत्र भागु जाति दरोगा भगवाना वगैरह एवं बलुत सिंह दर्ज है स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज का नाम अंकित नही है अपितु प्रतिवादी के पूर्वजों का नाम अंकित है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से वादी के पूर्वज अथवा वादी का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श 4 में उप कृषक के कॉलम में भगवाना, माल्या पुत्र जीवण अंकित है। संवत 2013 से 2015 में उप कृषक के कॉलम में बिड़दु पुत्र भागु जाति दरोगा भगवाना वगैरह एवं बलुत सिंह दर्ज है स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज का नाम अंकित नही है अपितु प्रतिवादी के पूर्वजों का नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंकित है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से वादी के पूर्वज अथवा वादी का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर